

# मध्यप्रदेश विधान सभा

करवारी - अप्रैल, 1994 सन्

## दिनिक कार्य सूची

के लिए इस दिन विधान सभा में उत्तर दी हुई तथा उत्तर दी गई।  
प्राप्ति के लिए विधान सभा, दिनांक 25 करवारी, 1994 (फाल्गुन 6, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

के लिए इस दिन विधान सभा में उत्तर दी हुई तथा उत्तर दी गई।  
1. प्रश्नोत्तर विधान सभा

के लिए इस दिन विधान सभा में उत्तर दी हुई तथा उत्तर दी गई।  
प्रश्नोत्तर विधान सभा

डॉ. विजयलक्ष्मी साहब, पर्टिन मंत्री :-

(1) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1983-84, तथा

(2) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित का नवा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगी।

## 3. नियम 138 (1) के आधीन ध्यानाकरण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले में तवा डेम के दूब की जमीन से आदिवासियों की फसलें काटी जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. रामलक्ष्म लिह, श्री गौरी शंकर विसेन, सदस्य, खरगोन जिले के सेधवा के निकट जहरीला पदार्थ पीने से अनेक लोगों की हुई मृत्यु की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

निर्धारित  
समय  
1 घन्टा

## 4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि निविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 2 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

## 5. अशासकीय संकल्प

40 मि. (1) श्री गौरी शंकर विसेन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश शासन में सेवारत समस्त विभागाध्यक्ष, आई.ए.एस. अधिकारी, समस्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तथा लोकपद धारण करने वाले अशासकीय पदाधिकारियों का सम्पत्ति विवरण प्रतिवर्ष विधान सभा पटल पर रखे जावें।"

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(2) सर्वानी रामलक्ष्म शर्मा एवं अखण्ड प्रसाप लिह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि प्रदेश के युवाओं को जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिये जायें अथवा प्रतिमाह रूपये 500/- बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाय।"

ପ୍ରକାଶନି ପରିଷଦ

30 मि. (3) श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

“ सद्वन का यह मत है कि प्रदेश में स्थित समस्त मंदिरों के पुजारियों के मानदेय बनाकर तथा समाप्त कर उनका निविच्छत वेतनमान भूल्य सूचकांक को आधार लेय किया जाय। ”

20 मि. (4) श्री कैलाश कुण्ठल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

“यह सदन बुधनी, खातेगाव से ईंधीर तक नई रेल्वे लाइन बिछाने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध करता है।”

३० मि. (५) श्री पुष्पलाल मोहन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के कुष्ठकों को उन क्षेत्रों में जहाँ असिद्धित क्षेत्र हैं, वहाँ सिंचाई के लिये दयूबवेत खनन हेतु राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अन्वान दिया जाय।"

कि (१) (२) प्राप्तिक लि २६-८१९ प्राप्त लि २२१ उक्त समिक्षक दीर्घा खाचा  
ले अधिकारी भोपाल : विवर लिए तुलनीय साधनी गाली मनकी हार्डिंग शास्त्र संचिव,  
दिनांक : 24 फरवरी, 1994 विवर एवं तुलनीय सम्पर्केश विधान सभा